राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 85/2023 निगरानी

घीसी देवी पत्नि हिरा लाल धाकड़
निवासी उमाजी का खेड़ा, तहसील
बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. भंवरलाल पिता होकमा उर्फ होकम धाकड निवासी उमा जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
2. छोटी देवी पत्नि नाना लाल धाकड़ निवासी उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा
3. नानालाल पिता भंवरलाल जाति धाकड निवासी उमा जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
4. सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा

–निगराकार

–गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा ग्राम पंचायत उमाजी का खेडा पट्टा संख्या 19 दिनांक 06.03.1986

उपस्थित – श्री राकेश चौहान, अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
श्री रमेश चन्द्र सारस्वत, अधिवक्ता – गैर निगराकार सं0 1,2,3 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 17.04.2026

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम उमा जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियां में आबादी हल्का में आवासीय भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है तथा निगराकार उक्त पट्टे के आधे भाग पर अपने हक हिस्सेनुसार काबिज होकर उसका बाड़ा बना हुआ है तथा एक भाग में कच्चे कमरे बने हुये है तथा निगराकार द्वारा अपने मवेशी तथा पालतू जानवरो को अपने कब्जेशुदा बाडें में बांधे जाते है। निगराकार तथा उसके पति द्वारा उक्त भूखण्ड पर अपने पूर्वजो से निरन्तर काबिज चले आ रहे है। तथा उसके समीप लगते हुये गैर निगराकार सं. 1 भंवरलाल पिता होकमा धाकड़ का बाड़ा तथा कच्चा मकान बना हुआ है। उक्त भूखण्ड का फर्जी पट्टा गैर निगराकार सं. 1 भंवरलाल पिता होकमा धाकड निवासी उमा जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियां द्वारा अपने नाम से तत्कालीन पंचायत उमाजी का खेड़ा के

17.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कार्मिको से मिलाभगती कर अपने हिस्से के अलावा सम्पूर्ण हिस्से का पट्टा बना लिया जबकि पुश्तैनी पट्टा होने से उक्त पट्टे पर गैर निगराकार व निगराकार का उनके पिता के समय से ही आधा आधा हिस्सा बनता है परन्तु उसके द्वारा उक्त फर्जी तौर पर पट्टा बना कर उसको केवल अपने नाम पर कर दिया जो की काबिल कारिज किये जाने योग्य है तथा उक्त फर्जी पट्टे पर उक्त गैर निगराकार सं. 1 द्वारा अपनी पुत्रवधू गैर निगराकार सं. 2 छोटी पत्नि नानालाल धाकड़ के नाम पर उक्त भूखण्ड को जरिये उपहार पत्र (Gift deed) के द्वारा उसके नाम पर कर दिया जबकि उक्त दान पत्र प्रारभ से ही शुन्य है क्योकि गैर निगराकार सं. 1 को दानपत्र (उपहार पत्र) करने का हक अपने हिस्सें तक ही था। गैर निगराकार सं. 1 से 3 तक के मध्य पारिवारिक बंटवारे से उक्त जमीन जायदाद का अपने हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर सम्पूर्ण जायदाद व जमीन का आधा आधा, ढाई–ढाई बीघा बंटवाड़ा होकर उसकी रजिस्ट्रीया करवाई गई थी। तथा उसी क्रम में उक्त भूखण्ड का भी बंटवाड़ा किया जाने पर रजामंद हुये थे तथा इस हेतु रजिस्ट्ररी कार्यालय में उपस्थित हुये थे परन्तु गैर निगराकार सं. 1 से 3 के मध्य बदनियति आ जाने से उक्त रजिस्ट्री न करवा कर केवल गैर निगराकार सं. 2 के पक्ष में दानपत्र (उपहार पत्र) जारी कर दिया। उक्त कृत्य अवैधानिक व मनमाना है निगराकार ने कई मर्तबा उनको कहा की उक्त आधे भाग को हमारे नाम पर करवा दो परन्तु उनके मन में बदनियति आ जाने से गैर निगराकार उक्त आधा भाग देने से इंकार हो गये। गैर निगराकार सं. 1 द्वारा गैर निगराकार सं. 2 के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टा विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त कथित पट्टे की भूमि पर निगराकार का उसके पूर्वजो के समय से कब्जा होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। और निगराकार की पुश्तैनी जायदाद होने के बावजूद गैर निगराकार सं. 1 ने गैर निगराकार सं. 4 से मिलीभगती कर उक्त पट्टा प्राप्त किया है तथा उक्त पत्रावली देन से मना कर दिया। उक्त मिलाभगती से तैयार किये गये पट्टे की जानकारी निगराकार को कभी भी नही होने दी तथा गैर निगराकार लगातार यह कहता रहा कि उक्त पट्टा दोनो के नाम पर है तथा समय आने पर दोनो के नाम पर रजिस्ट्री करवा दूंगा। उक्त कथित पट्टे की प्रथम बार जानकारी निगराकार को जब उक्त दान पत्र निष्पादित होने पर उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुई इससे पूर्व उक्त पट्टे की जानकारी निगराकार को नही थी। उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड का पट्टा जारी करते समय पंचायत द्वारा उसके पुस्तैनी होने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं कि गई तथा न ही उसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य ही ली गई और न ही उस पर कोई साक्षियों के हस्ताक्षर है। उक्त पट्टे बाबत निगराकार द्वारा बैर निगराकार को उलाहना देने पर भी उक्त भूखण्ड उसके नाम पर नही किया गया तथा जोर जबरदस्ती से उक्त मूखण्ड हडपने पर आमादा है तथा इस हेतु गैर निगराकारान द्वारा निगराकार के विरूद्ध पुलिस में कार्यवाही करने की धमकिया देते है तथा निरन्तर पुलिस थाने में निगराकार को बुलाया जाता रहा है। उक्त भूखण्ड पर निगराकार के हिस्से को घन, दल, बल व अन्य प्रकार से दबाकर गैर निगराकार सं. 1 से 3 हडपना चाह रहे है जिन्हे रोका जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जोकर गैर निगराकार सं. 1 के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टे को निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

17.4.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

गैर निगराकार सं0 1 से 3 के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की ग्राम उमाजी का खेडा अन्दर हल्का आबादी में वादग्रस्त आवासीय भूखण्ड गैर निगराकार सं. 01 के स्वामित्व एवं कब्जेयाबी का भूखण्ड़ था जो गैर निगराकार सं. 01 द्वारा सन् 1986 में ग्राम पंचायत, उमाजी का खेडा से पट्टे पर प्राप्त किया था। यह भूखण्ड पुश्तैनी नही था, भंवरलाल का स्वअर्जित बाडा होकर भंवरलाल के ही उपयोग उपभोग में रहा। चूंकि वादग्रस्त भूखण्ड पुश्तैनी नही था और निगराकार का इसमें कोई आधा हिस्सा नही होकर अकेले भंवरलाल के ही कब्जे व स्वामित्व का था। भंवरलाल परिवार का मुखिया होकर उनके दोनो पुत्र हीरालाल व नानालाल के सामलाती उपयोग उपभोग में रहा। हीरालाल की जानकारी में गैर निगराकार सं. 01 ने उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड़ का दानपत्र गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में निष्पादित कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। इस गिफ्ट डीड पर हीरालाल व उसके पुत्र मनोज कुमार के गवाह के रूप में हस्ताक्षर है। निगराकार को अन्य जायदाद में हिस्सा देकर संतुष्ट किया। कृषि भूमि में आधा–आधा बंटवाडा कर उनकी रजिस्ट्रीयें भी करवायी गयी। आशय यह है कि पारिवारिक व्यवस्था व बंटवाडे के अनुसार सम्पूर्ण जायदाद का बराबर बंटवाडा किया गया और यह वादग्रस्त भूखण्ड गैर निगराकार सं. 02 व 03 के हिस्से में आने के कारण भविष्य के विवाद से बचने के लिये भंवरलाल ने दानपत्र का निष्पादन गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में हीरालाल व निगराकार की सहमति से निष्पादित कराकर कब्जा गैर निगराकार सं. 02 व 03 को सिपुर्द कर दिया। उक्त कृत्य किसी भी प्रकार से अवैधानिक व मनमाना नही है और दिनांक 06.03.1986 को पंचायत द्वारा जारी पट्टा सं. 19 की वैधता को प्रभावित नही कर रहा है। केवल मात्र पारिवारिक बंटवाडे का विवाद होने से यह निगरानी पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है क्योंकि पारिवारिक विवाद का हल पट्टे को खारिज कराने से नहीं होकर सक्षम दीवानी न्यायालय में अपना हिस्सा निर्धारण किये जाने से ही सम्भव है। निगराकार यदि दानपत्र (उपहार पत्र) से व्यथित है तो दीवानी न्यायालय में सम्पूर्ण जायदाद के बंटवाडे का दावा कर अपना हिस्सा प्राप्त करने के आधार पर दानपत्र को अप्रभावी/ निरस्त करने का अनुतोष प्राप्त कर सकती है। पट्टा सं. 19 दिनांक 06.03.1986 के विरूद्ध निगरानी का कोई आधार नहीं है। वादग्रस्त जायदाद पुश्तैनी जायदाद नही है और गैर निगराकार सं. 01 द्वारा ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टे की जायदाद होकर स्वअर्जित है जिसे हस्तान्तरण करने का अधिकार गैर निगराकार सं. 01 को प्राप्त है इसके विरूद्ध निगरानी चलने योग्य नहीं है। गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष जारी किये गये पट्टे की जानकारी निगराकार व उनके पति हीरालाल को प्रारम्भ से ही थी इस कारण सन् 1986 से 40 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत यह निगरानी पेश की गई है जो आधारहीन व मियाद बाहर होकर खारिज योग्य है। अत्यधिक मियाद बाहर जिसका कोई स्पष्टीकरण व युक्तियुक्त तथा न्यायोचित कारण न हो ऐसी निगरानी को गुणावगुण/मैरिट पर विचार किये बिना ही केवलमात्र मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। निगराकार का कब्जा वादग्रस्त भूखूण्ड पर साअधिकार कभी नही रहा है पुलिस कार्यवाही की धमकी व धन, बल

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

17.4.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के आधार पर निगराकार को परेशान नहीं किया जा रहा है, सर्वथा गलत तथ्य वैध पट्टे को खारिज किये जाने हेतु मनगढत अंकित किये गये होकर निगरानी काबिल खारिजी के है। वास्तविक अनुतोष सक्षम न्यायालय से पुश्तैनी जायदाद के बिन्दु को साबित कराकर अपने हिस्से के निर्धारण का दीवानी वाद के द्वारा अनुतोष प्राप्त किये जाने योग्य होने से निगरानी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष गलत पेश की गई है जो खारिज योग्य है। गैर निगराकार सं. 01 ने अपनी पुत्रवधु गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में दिनांक 15.03.2022 को रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड (उपहार पत्र) निष्पादित किया है जिसे दुसरी पुत्रवधु निगराकार द्वारा निरस्त किये जाने का प्रकरण पेश किया गया है। इस प्रकार रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को निरस्त किये जाने हेतु यह निगरानी चलने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निगराकार का निगरानी सव्यय खारिज फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा अपने पंजीकृत पट्टे का रजिस्टर्ड उपहार–पत्र दिनांक 15.03.2022 को किया जा चुका है। उक्त उपहार पत्र में निगराकार के पति व पुत्र बतौर गवाह है। ऐसी स्थिति में निगराकार सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने बाबत् स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है अतएव–

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत मियाद बाहर होने व सारहीन होने के अधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत उमाजी का खेडा, पंचायत तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.4.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा